फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री भमरा **विपक्षी :– राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का.अधि. **पत्रावली संख्या : 132/23**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 26.09.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण व राजपेरोकार उपस्थित। राजपेरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रकरण में आराजी नम्बर 1464/112 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि वादीगण व वादीगण के मौरूस के नाम दर्ज हैं। वादीगण के कथनानुसार आवंटन के वक्त उक्त आराजीयात का कब्जा आराजी नम्बर 142 व 143 पर ही सिपूर्द किया गया, तभी से मौके पर काबिज होकर वादीगण उपयोग उपभोग कर रहे हैं। तहसीलदार मावली द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में वर्तमान में आंवटियो का कब्जा आराजी नम्बर 112 में नही होकर आराजी नम्बर 142 रकबा 1.2950 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 143 रकबा 0.06475 हेक्टेयर में आवंटन समय से चला आना बताकर मौके पर आंवटियो द्वारा पत्थर की कोट बना काश्त करने का कथन किया हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार बटर नक्शा शीट मुताबिक आराजी नम्बर 1464/112 की आकृति आराजी नम्बर 112 में मौके पर नहीं है ना ही उक्त आराजी में प्रार्थीगण का कब्जा हैं। उक्त आंवटन वर्ष 1983 में हरजी पिता मोडा, धन्ना पिता कालु, भमरा पिता छगु, हिरा पिता उदा को आराजी नम्बर 112 मे से 12 बीघा आंवटन होकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया गया, जिससे नवीन खसरा संख्या 1464/112 बना। मूल आवंटी हरजी पिता मोडा, धन्ना पिता कालु, भमरा पिता छगु, हिरा पिता उदा में से हरजी पिता मोडा, धन्ना पिता कालु, हिरा पिता उदा की मृत्यु होने से वर्तमान में इनके वारिसान धुलीराम, वाली, तुलसी, रूकमणी, नक्काबाई पिता हरजी डांगी, नारू, गंगाराम, कुका, फेफा पिता धन्ना, नोजी पत्नी धन्ना डांगी, परथा दत्तक पुत्र हीरा डांगी के नाम दर्ज हैं।

तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार आंवटन के समय से ही वादीगण व इनके पूर्वजो का आराजी नम्बर 142 रकबा 1.2950 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 143 रकबा 0.06475 हेक्टेयर में कब्जा चला आ रहा हैं, जबकि राजस्व नक्शें में मूल खसरा नम्बर 112 में 1464/112 दर्ज हैं। आराजी नम्बर 112 में खातेदार का किसी प्रकार से कोई कब्जा काश्त नहीं होना बताया हैं। खातेदार द्वारा मौके पर आराजी नम्बर 142 व 143 में रकबे अनुसार काबिज होकर उत्तर दिशा में कुकाराम, मांगीलाल, पुरकी, भोरकी, रेखा, शंकरी पिता लोगर भील ने पत्थर की कोट, दक्षिण दिशा में वक्ता, फेफाबाई, नाथीबाई, टिपू पिता रामा भील ने बाडबन्दी, पूर्वी दिशा में बिलानाम पहाड व पश्चिमी दिशा में परथा दत्तक पुत्र हीरा डांगी की भूमि होना बताया। तहसीलदार मावली द्वारा कब्जे के आधार पर तरमीम किये जाने पर सहमति व्यक्त कर लाल स्याही से नक्शा प्रस्तावित कर पेश किया हैं। प्रकरण एवं रिपोर्ट के अवलोकन से वादीगण का कब्जा 142 व 143 में रकबे अनुसार चला आ रहा हैं जबकि मूल आवंटन खसरा संख्या 112 में आराजी नम्बर 1464/112 किया जाकर नक्शें की तरमीम खसरा सख्ंया 112 में दर्शा रखी हैं। चूंकि मूल आंवटी एवं उसके पश्चात् वादीगणों का कब्जा आराजी नम्बर 142 व 143 पर ही रकबे एवं हिस्सेनुसार चला आ रहा है जिसकी पुष्टि तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में की हैं। चूंकि वादीगण का खसरा एवं तरमीम आराजी नम्बर 142 में होने से वादीगण को काफी असुविधाओं का सामना करना पड रहा हैं। वादीगण द्वारा कब्जे के आधार पर अपनी भूमि का विकास करवाया है, पत्थर की कोट, बाडबन्दी करके

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.28 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

रखी हैं। तहसीलदार मावली द्वारा भी आराजी नम्बर 142 व 143 में ही रकबे एवं कब्जे के आधार पर तरमीम प्रस्तावित की हैं। वक्त सेग्रीगेशन में कालु पुत्र छगु 1/6, धन्ना पुत्र छगु 1/6, भमरा पुत्र छगु 1/6, मोडा पुत्र छगु 1/6, हरजी पुत्र छगु 1/6, हिरा पुत्र उदा 1/6 दर्ज होना बताया जबकि धन्ना पुत्र कालु 1/4, हरजी पुत्र मोडा 1/4, भमरा पुत्र छगु 1/4, हिरा पुत्र उदा 1/4 डांगी होना चाहिए था। अतः प्रकरण में वादीगण आराजी नम्बर 142 व 143 में अपने रकबे एवं कब्जे अनुसार तरमीम कराने के अधिकारी हैं। अतः वादीगण का मूल आवंटन के समय खसरा व वर्तमान में काबिज खसरे में भिन्नता होने से उक्त खसरों को आपस में स्थानान्तरित करते हुए तरमीम किया जाना न्यायहित में उचित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 142 में 1.2950 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 143 में 0.6475 हेक्टेयर भूमि वादी सं. 1 का 1/4, वादी सं. 2 से 6 का संयुक्त रूप से 1/4, वादी सं. 7 से 11 का संयुक्त रूप से 1/4, वादी सं. 12 का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाकर तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शें के आधार पर राजस्व रेकार्ड में वादीगण के रकबे एवं कब्जे अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। आराजी नम्बर 1464/112 को वादी व इनके मौरूस के नाम से हटाई जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.28 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S

उनवान

1. श्री भमरा पिता छगा डांगी निवासी विकरणी तह. मावली।
2. श्री धुलीराम पिता स्व. हरजा डांगी निवासी विकरणी तह. मावली।
3. वाली पिता स्व. हरजा डांगी निवासी विकरणी तह. मावली।
4. तुलसीबाई पिता स्व. हरजा डांगी निवासी विकरणी तह. मावली।
5. रूकमणीबाई पिता स्व. हरजा डांगी निवासी विकरणी तह. मावली।
6. नकारीबाई पिता स्व. हरजा डांगी निवासी विकरणी तह. मावली।
7. श्री नारायणलाल पिता स्व. धन्ना डांगी निवासी विकरणी तह. मावली।
8. श्री गंगाराम पिता स्व. धन्ना डांगी निवासी विकरणी तह. मावली।
9. श्री कुकाराम पिता स्व. धन्ना डांगी निवासी विकरणी तह. मावली।
10. फेफाबाई पिता स्व. धन्ना डांगी निवासी विकरणी तह. मावली।
11. श्रीमती नोजीबाई पत्नी स्व. धन्ना डांगी निवासी विकरणी तह. मावली।
12. श्री परता दत्तक पिता स्व. हिरा डांगी निवासी विकरणी तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का विजनवास तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 132/23 (वाद) GCMS No. – 2023/394

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 142 में 1.2950 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 143 में 0.6475 हेक्टेयर भूमि वादी सं. 1 का 1/4, वादी सं. 2 से 6 का संयुक्त रूप से 1/4, वादी सं. 7 से 11 का संयुक्त रूप से 1/4, वादी सं. 12 का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाकर तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शें के आधार पर राजस्व रेकार्ड में वादीगण के रकबे एवं कब्जे अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। आराजी नम्बर 1464/112 को वादी व इनके मौरूस के नाम से हटाई जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.09.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.28 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested